



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 48]

नई दिल्ली, नवम्बर 25—दिसम्बर 1, 2018, शनिवार/ अग्रहायण 4—अग्रहायण 10, 1940

No. 48]

NEW DELHI, NOVEMBER 25—DECEMBER 1, 2018, SATURDAY/AGRAHAYANA 4—AGRAHAYANA 10, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 372 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वर्ग-III पद [समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)] भर्ती नियम 1962 जहाँ तक उनका संबंध बेतार ऑपरेटर, रेडियो टेकनीशियन, बेतार पर्यवेक्षक एवं तकनीकी सहायक (अनुरक्षण) के पद से है का, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में सहायक संचार अधिकारी के पद में भर्ती की पद्धति के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, सहायक संचार अधिकारी, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2.पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— इससे संबद्ध पद की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3.भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे-भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक संचार अधिकारी	307 * (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसूचित।	वेतन मैट्रिक्स रु. 35400-112400 में स्तर 6	लागूनहीं होता	30 वर्ष से अनधिक टिप्पण 1:- केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा- जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के

					अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	-------------------------------------

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति- सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी में स्नातक या इंजिनियरी में स्नातक या विज्ञान (इंजिनियरी) में स्नातक की डिग्री। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या भौतिकी एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री, के साथ केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम संगठन से रेडियो संचार या कम्प्यूटर संचार या उपग्रह संचार या साइबर सुरक्षा में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>वांछनीय योग्यता:- कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित के लिए दो वर्ष। टिप्पण : विभाग द्वारा सीधी भर्ती या पुनर्नियोजित के लिए निर्धारित प्रवेश प्रशिक्षण, परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के भाग के रूप में	75% सीधी भर्ती द्वारा। 25% प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में किस श्रेणी से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केन्द्रीय पुलिस संगठन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या रक्षा संगठन या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस संगठनों के अधिकारी, जो:- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (रु. 29200-92300) के स्तर 5 में या समतुल्य वेतनमान में मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 06 वर्ष की सेवा की हों; और (ख) स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अनुभव और अर्हताएं रखते हों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन:- सशस्त्रसेना के सेवानिवृत्ति होने वाले कार्मिक या जो स्थानांतरण होने पर एक वर्ष की अवधि तक सेवा में रहेंगे और पद के लिए विनिर्दिष्ट अनुभव और अर्हताएं रखते हों, पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को उनके सशस्त्र सेना से सेवामुक्त होने की तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्त पर रखा जाएगा और उसके बाद वे पुनर्नियोजन पर आगे लगातार सेवा कर सकेंगे। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:- (1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - अध्यक्ष; (2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य; (3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य - सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।</p>

[फा.सं. ए. 11016/1/भ.नि. (ख एवं ग)/2017-प्र.॥/पुअ.॥]

चन्दन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE OF COORDINATION POLICE WIRELESS)

New Delhi, the 19th November, 2018

G.S.R. 372.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Class III posts [Directorate of Co-ordination (Police Wireless)] Recruitment Rules, 1962 in so far as they relate to the post of Wireless Operator, Radio Technician, Wireless Supervisor and Technical Assistant (Maintenance), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating to the method of recruitment to posts of Assistant Communication Officer in the Directorate of Co-ordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Co-ordination Police Wireless, Assistant Communication Officer, Group 'B' post, Recruitment Rules 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore said Schedule.

4. Disqualifications – No person.—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may , by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection or Non -Selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Communication Officer	307* (2018) * subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted Non-Ministerial	Level 6 in the pay matrix ₹ 35400-112400	Not applicable	Not exceeding 30 years. Note 1:- Relaxable for Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub

					Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential Qualification:- Bachelor of Technology or Bachelor of Engineering or Bachelor of Science (Engineering) degree in Electronics or Electronics and Communication or Information Technology or Computer Science or Information and Communication Technology from a recognised University or Institute.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Bachelor's Degree in science with Electronics or Electronics and Communication or Computer Science or Information Technology or Physics as one of the subjects from a recognised University or Institute with one year experience in Radio Communication or Computer Communication or Satellite Communication or Cyber Security of any Central Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertaking organisation.</p> <p>Desirable Qualification :- Knowledge of Computer Applications.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruit or re-employed. Note: Induction training for Direct Recruitment or Re-employed as prescribed by Department, as part of successful completion of probation.	75% by direct recruitment; 25% by Deputation/Absorption, For –Ex-Servicemen: Deputation/Re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion/ deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
(11)	(12)	(13)
<p>Deputation /Absorption: From amongst Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or Defence Organisations or State or UTs Police Organisations</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 06 years service rendered after appointment to the post on a regular basis in Level 5 (Rs. 29,200-92,300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p><u>AND</u> (b) possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column (7). For Ex-Servicemen: Deputation/ re-employment: - The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Group `B' Departmental Confirmation Committee:- (1).Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2). Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member; (3). External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Co-ordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs – Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary.</p>

[F. No. A.11016/1/RR(B&C) /2017-Ad.II/PM.II]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.373.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1966 जहाँ तक उनका संबंध वरिष्ठ पर्यवेक्षक अधिकारी और वरिष्ठ

तकनीकी सहायक और अतिरिक्त सहायक निदेशक के पद से है का, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में संचार अधिकारी और संयुक्त सहायक निदेशक के पद में भर्ती की पद्धति के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (संयुक्त सहायक निदेशक, संचार अधिकारी) भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— इससे संबद्ध पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु- सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— ऐसा कोई व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार का लागू स्वीय विधि के अधीन स्वीकार्य है और यह कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1- संयुक्त सहायक निदेशक	43* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स रु. 47600-151100 में स्तर 8	चयन।	30 वर्ष से अनधिक। टिप्पण 1:- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों

					से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति- सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी या दूरसंचार एक विशेष विषय के साथ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी में बी.टेक या बीई या बीएससी (इंजीनियरी) की डिग्री। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या कृत्रिम आसूचना या भौतिक शास्त्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स या संचार या बेतार या रेडियो विषयों की विशेषज्ञता के साथ में मास्टर डिग्री। वांछनीय:- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष। नोट: विभाग द्वारा सीधी भर्ती के लिए निर्धारित प्रवेश प्रशिक्षण, परिीक्षा अवधि के सफल समापन के भाग के रूप में।	(i) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, इसमें ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

<p>संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त संगठन से साइबर सुरक्षा या चीजों का इंटरनेट या कृत्रिम आसूचना या उपग्रह सूचना या कम्प्यूटर सूचना या रेडियो सूचना में तीन वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भरे जाने के मामले में किस श्रेणी से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो इसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की परिस्थितियाँ</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>प्रोन्नति:-- ऐसा संचार अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स रु. 44900-142400 के स्तर 7 में नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्षों की नियमित सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित उच्चतम संचार में चार सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। टिप्पण. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में</p>	<p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) :- (1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - अध्यक्ष; (2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य; (3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य - सदस्य।</p> <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):- (1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - अध्यक्ष; (2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य; (3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य - सदस्य।</p>	<p>सीधी भर्ती के लिए और किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।</p>

<p>प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:- केन्द्रीय पुलिस संगठन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या रक्षा संगठन या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस संगठन के अधिकारी, जो -</p> <p>(i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स रु. 44900-142400 के स्तर 7 में या समतुल्य वेतनमान में मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में 02 वर्ष की सेवा की हो;</p> <p><u>और</u></p> <p>(ख) स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं रखते हों।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.संचार अधिकारी	108* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स रु. 44900-142400 में स्तर 7	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, इसमें ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:- ऐसा सहायक संचार अधिकारी जिसने वेतन मैट्रिक्स रु. 35400-112400 के स्तर 6 में नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित संचार में आठ सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p>टिप्पण. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय पुलिस संगठन या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल या रक्षा संगठन या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस संगठन के अधिकारी, जो -</p> <p>(i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स रु. 35400-112400 के स्तर 6 में या समतुल्य वेतनमान में मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 05 वर्ष की सेवा की हो;</p> <p>और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हों, अर्थात:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में बी.टेक या बीई या बीएससी (इंजीनियरी) की डिग्री।</p> <p>अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स</p>	<p>समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):-</p> <p>(1). संयुक्त निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - अध्यक्ष;</p> <p>(2). उप निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार - सदस्य;</p> <p>(3). समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, गृह मंत्रालय के उप निदेशक के समतुल्य बाह्य सदस्य - सदस्य।</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p>एवं संचार या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या भौतिक शास्त्र एक विषय के रूप में स्नातक डिग्री।</p> <p><u>और</u></p> <p>(ग) (i) समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार द्वारा संचालित/अनुमोदित 8 सप्ताह का पुलिस बेतार संचार पाठ्यक्रम- उन्नत स्तर (पुलिस बेतार संचार पाठ्यक्रम-उ. स्त.) उत्तीर्ण किया हुआ हो।</p> <p><u>और</u></p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर का उपक्रम या सांविधिक या स्वायत्त संगठन से रेडियो संचार या कम्प्यूटर संचार या उपग्रह संचार या साइबर सुरक्षा में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

[फा.सं. ए.11016/1/भ.नि. (ख एवं ग)/2017-प्र.॥ /पुअ. ॥]

चन्दन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 19th November, 2018

G.S.R. 373.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Co-ordination (Police Wireless) Recruitment to Group 'A' and Group 'B' posts Rules, 1966 in so far as they relate to the post of Senior Supervisor Officer and Senior Technical Assistant and Extra Assistant Director, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules relating to the method of recruitment to posts of Communication Officer and Joint Assistant Director in the Directorate of Co-ordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement .— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Co-ordination Police Wireless (Joint Assistant Director, Communication Officer) Recruitment Rules 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person.—

(c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may , by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving .— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of Post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non - selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Joint Assistant Director	43* (2018) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group ' B', Gazetted, Non-ministerial.	Level 8 in the pay matrix ₹47600-151100	Selection	Not exceeding 30 years Note1: -Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2:- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential:- B.Tech or BE or BSc. (Engnr.) degree in Electronics or Electronics and Telecommunication or Electronics and Communication or Information Technology or Computer Science or Information and Communication Technology or Electrical Engineering with Telecommunication as a special subject from a recognised University or Institute. OR Master degree in Electronics or Computer Science or Information Technology or Artificial Intelligence or Physics with Electronics or Communication or Wireless or Radio subjects as specialization from a recognised University or Institute.</p> <p>Desirable: Three years' experience in Radio Communication or Computer Communication or Satellite Communication or Artificial Intelligence or Internet of Things or Cyber Security from Central Government or State Government or Union Territory or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous organisation.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion</p>	Not applicable	<p>Two years for direct recruits</p> <p>Note: Induction training for Direct Recruitment as prescribed by Department, as part of successful completion of probation.</p>	<p>(i) 50% by Direct Recruitment;</p> <p>(ii) 50% by promotion failing which by Deputation.</p>

<p>of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
<p>Promotion:- Communication Officer in the level 7 in the pay matrix ₹ 44900-142400 with two years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed four weeks Training Programme in Advanced Communication conducted by Directorate of Coordination Police Wireless.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service.”</p> <p>Deputation:- Officers from amongst Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or Defence Organisations or State or Union Territories Police Organisations, — (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with 02 years’ service rendered after appointment to the post on a</p>	<p>Group `B’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1). Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2). Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless –Member; (3). External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs – Member.</p> <p>Group `B’ Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1). Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman; (2). Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless - Member ; (3). External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police Wireless, Ministry of Home Affairs – Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation.</p>

<p>regular basis in the level 7 in the pay matrix ₹ 44900-142400 or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p>AND</p> <p>(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column. 7”</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.</p>		
--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Communication Officer	108* (2018) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial	Level 7 in the pay matrix. ₹ 44900-142400	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% by Promotion failing which by deputation

(11)	(12)	(13)
<p>Promotion: Assistant Communication Officer in the level 6 in the pay matrix ₹35400-112400 with five years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and having successfully completed eight weeks Training programmes in Communication conducted by Directorate of Coordination Police Wireless.</p> <p>Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the</p>	<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1). Joint Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Chairman;</p> <p>(2). Deputy Director, Directorate of Coordination Police Wireless – Member;</p> <p>(3). External Member equivalent to Deputy Director of Directorate of Coordination Police, Ministry of Home Affairs – Member.</p>	<p>Consultation with Union Public Selection Commission not necessary.</p>

<p>requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already such qualifying or eligibility service”</p> <p>Deputation:- Officers from amongst Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or Defence Organisations or State or Union Territories Police Organisations, —</p> <p>(a)</p> <p>(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with 05 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 6 in the pay matrix ₹ 35400-112400 or equivalent in the parent cadre or department;</p> <p><u>AND</u></p> <p>(b) possessing the following qualifications namely:- B.Tech or BE or BSc. (Engnr.) Degree with Electronics or Electronics & Communication or Information Technology or Computer Science or Information and Communication Technology from a recognised University or Institute;</p> <p>OR</p> <p>Bachelor Degree in science in Electronics or Electronics & Communication or Computer Science or Information Technology or Physics as one of the subjects from a recognised University or Institute.</p> <p><u>AND</u></p> <p>(c) (i) Should have passed 8 weeks Police Wireless Communication Course- Advance Level (Police Wireless Communication Course-AL) conducted/approved by Directorate of Coordination Police Wireless.</p> <p><u>AND</u></p> <p>(ii) At least one year experience in Radio Communication or Computer Communication or Satellite Communication or Cyber Security from Central Government or State Government or Union Territory Administration or Public Sector Undertaking or Statutory or Autonomous Organisation.</p>		
--	--	--

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

[F. No. A.11016/1/RR(B&C) /2017-Ad.II/PM.II]
CHANDAN KUMAR, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.374.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सार्वजनिक वितरण विभाग, (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1999, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह "ख" (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन में मैट्रिक्स स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.— उक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए है, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्याप्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. पुस्तकालय और सूचना सहायक	1* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर -6 (35,400-1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी, जोकि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; (ii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के पुस्तकालय में दो वर्ष का वृत्तिक अनुभव। वांछनीय: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण-1 अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में शैक्षणिक अर्हता कारणों को	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक सन्विदा सहित) द्वारा तथा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा।

<p>लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण-2: अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार कारणों को लेखबद्ध करके अनुभव संबंधी अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय हो कि इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>			
---	--	--	--

<p>प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिस से पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?</p>	<p>वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।</p>									
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>									
<p>प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित)</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्तशासी अथवा कानूनी संगठन/ पब्लिक सैक्टर के उपक्रम/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के अधिकारी, जो</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग /विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हों; अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 अथवा समतुल्य स्तर में नियमित आधार पर उक्त श्रेणी में नियुक्ति के बाद छह वर्ष की सेवा की हो; और</p> <p>(ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पणी:</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कैडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह "ख" विभागीय पुस्टिकरण समिति:</p> <table border="0"> <tr> <td>1.</td> <td>निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन)</td> <td>अध्यक्ष</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>अवर सचिव (प्रशासन)</td> <td>सदस्य</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>अवर सचिव (सतर्कता)</td> <td>सदस्य</td> </tr> </table>	1.	निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन)	अध्यक्ष	2.	अवर सचिव (प्रशासन)	सदस्य	3.	अवर सचिव (सतर्कता)	सदस्य	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।</p>
1.	निदेशक अथवा उप सचिव (प्रशासन)	अध्यक्ष									
2.	अवर सचिव (प्रशासन)	सदस्य									
3.	अवर सचिव (सतर्कता)	सदस्य									

[फा. सं. ए-12018/1/2017-ई-2]

राम चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 27th November, 2018

G.S.R.374.—In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution, Department of Public Distribution, (Assistant Librarian) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, Library and Information Assistant, Group 'B' (Non-Gazetted) Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant	1 * (2018) * Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' non-Gazetted, non-Ministerial	Level 6 (Rs.35,400 – 1,12,400)	Not applicable	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>Essential: (i) Bachelors Degree In Library Science or Library and Information Science from a recognized University/Institute; (ii) two years' professional experience in a Library under the Central Government or the State Government/ autonomous or statutory organization or public sector undertakings or University or recognized research or educational institution.</p> <p>Desirable: Diploma in Computer Application from a recognized University or Institute.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years	By Deputation (including short-term contract) failing which by Direct Recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government /State Governments/Union Territories/Autonomous or Statutory Organizations/Public Sector Undertakings /Recognized University or Research or Educational Institutions. - (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis in parent cadre/Department; or	<p>Group 'B' Departmental confirmation Committee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Deputy Secretary (Administration) —Chairman 2. Under Secretary (Administration) —Member 3. Under Secretary (Vigilance) —Member 	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

<p>(ii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-5 in pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; AND</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note:</p> <p>1. The period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be 'not exceeding fifty six years' as on the closing date of receipt of applications.</p>		
---	--	--

[F.No. A-12018/1/2017-E-II]

RAM CHANDRA, Under Secy.

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)**

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 375.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद में सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद, सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पदों) भर्ती नियम, 2018 (संशोधित) कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद में, सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक और अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012 (जिन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

“2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ-2 से स्तंभ-4 में विनिर्दिष्ट हैं।”

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में,-

(क) सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के विरुद्ध,-

(i) स्तंभ (4) में, स्तंभ के शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्:-

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर-6 (35400-112400/- रुपये)”

(ii) कालम (11) में, "वेतन बैंड-1: 5200-20200/- रुपये + ग्रेड वेतन 2400/- रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स में 'स्तर-4 (25500-81100/- रुपये)" शब्द, अंक और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के विरुद्ध,-

(i) स्तम्भ (4) के तहत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्:-

" स्तर-4 (25500-81100/- रुपये)"

(ii) स्तम्भ (11) में, "वेतन बैंड-1: 5200-20200/- रुपये + ग्रेड वेतन 1900/- रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स में 'स्तर-2 (19900-63200/- रुपये)" शब्द, अंक और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ग) अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के विरुद्ध,-

(i) स्तम्भ (4) के तहत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात्:-

" स्तर-2 (19900-63200/- रुपये)"

(ii) स्तम्भ (11) में, "वेतन बैंड-1: 5200-20200/- रुपये + ग्रेड वेतन 1800/- रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स में 'स्तर-1 (18000-56900/- रुपये)" शब्द, अंक और अक्षरों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

[फा.सं. 12018/06/2011-पी.पी.(स्था.)/खंड-2]

राजेश मलिक, निदेशक

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 06, तारीख 02 जनवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 27th November, 2018

G.S.R.375.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Agriculture and Cooperation, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad, Assistant, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2012, namely :-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Cooperation, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad, Assistant, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' Posts), Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Agriculture and Cooperation, Directorate of Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, Faridabad, Assistant, Upper Division Clerk and Lower Division Clerk (Group 'C' Posts), Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

3. In the said rules, in the Schedule,—

(a) against serial number 1 relating to the post of Assistant,—

(I) in column (4), for the column heading and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix
(4)
Level-6 (Rs.35400 – 112400/-)";

- (II) in column (11), for the words, figures and letters, “Pay Band-1, Rs 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 2400”, the words, figures and letters “level-4 in the pay matrix (Rs. 2550-81100)” shall be substituted.
- (b) against serial number 2 relating to the post of Upper Division Clerk,-
- (I) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-
“Level-4 (Rs.25500 – 81100)”;
- (II) in column (11), for the words, figures and letters, “Pay Band-1, Rs 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 1900”, the words, figures and letters “level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200)” shall be substituted.
- (c) against serial number 3 relating to the post of Lower Division Clerk,-
- (I) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:-
“Level-2 (Rs.19900 – 63200)”;
- (II) in column (11), for the words, figures and letters, “Pay Band-1, Rs 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 1800”, the words, figures and letters “level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900)” shall be substituted.

[F.No.12018/06/2011-PP-(Estt.)/Vol.II]

RAJESH MALIK, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 6, dated the 2nd January, 2012.